

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

अधिसूचना

क्रमांक **391** / गोपनीय / 2019
दो-२-१ / 2019

जबलपुर, दिनांक **25** मार्च, 2019

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती प्रिया शर्मा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।
2	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की हैसियत से।
3	श्री रामजी लाल ताम्रकार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट की हैसियत से।
4	श्री अनिल कुमार सिंह, चौबीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक – 02, विद्युत अधिनियम, भोपाल की हैसियत से।
5	श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक – 02, विद्युत अधिनियम, भोपाल।	चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से।
6	श्री धीरेन्द्र सिंह, चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से।
7	श्री राकेश कुमार शर्मा (सीनियर), ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।	अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से।
8	श्री अजय श्रीवास्तव, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।	पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से।
9	श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।	षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से।
10	श्री मुशी सिंह चन्द्रावत,	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से।
	सत्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।	
11	श्री मनीष सिंह ठाकुर, ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर।	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक – 09, विद्युत अधिनियम, जबलपुर की हैसियत से।
12	श्री विपिन कुमार लावनिया, चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से।

13	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना की हैसियत से।
----	--	--

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

पृष्ठांकन क्रमांक 392 / गोपनीय / 2019
दो-2-1 / 2019

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:-

- 1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर/ बालाघाट/ भोपाल/ जबलपुर/ रीवा/ सतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 अनुभाग अधिकारी, सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ शिकायत शाखा/ डी० ए० गोपनीय/ डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*(अरविंद कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल